

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाड़ा

पीतारसीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 133/20/19

1. श्री गिर्जुन लाल श/० कन्हैया लाल सोनी वि० करेडा - को

—प्राथी।

बनाम  
1. श्री गगनती लाल श/० लालारण सोनी वि० करेडा

—विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 17/8/2020

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० भू० राज० अधि० 1956 के त्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा आ०नि० क्षेत्र करेडा में उनके खाता संख्या 1635 की आ०नं० 5535/8 0.05 बिघा डि० डि० 1 रकम 0.05 बिघा स्थित है।

दग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा विन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथीगण अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13/12/19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण ने अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों न देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्सू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा भू०आ०नि० क्षेत्र करेडा में उनके खाता संख्या 1635 की आ०नं० 5535/8 0.05 बिघा डि० डि० 1 रकम 0.05 बिघा स्थित है।

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू०आ०नि० करेडा को 400/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाये। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलमन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी  
करेडा (जिला भीलवाड़ा)  
सहायक कलेक्टर करेडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
करेडा (जिला भीलवाड़ा)